

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01-10-2021

कमांक 6/11/ अन्वे./पांच/2015/31039-288,

अधिसूचना

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1.10.2021 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ कमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क. एफ 4 (सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीकित की गई थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में कमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 1.10.2021 से 31.03.2022 तक प्रभावशील की गई है। गत छः माही का औसत 341 रहा है अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (345-341)=04 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है।
(आकड़ें रूपयों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता			कुल वेतन		राउण्डअप में देय वेतन
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	
अकुशल	6500.00	250.00	2300.00	88.46	8800.00	338.00	338.00
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.00	371.00
कुशल	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.00	424.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.00	474.00

अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है
(आकड़ें रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता			कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	
मजदूर	6500.00	250.00	2300.00	88.46	8800.00	338.46	338.00
पेकर, पट्टी	6705.00	257.88	2600.00	100.00	9305.00	357.88	358.00
पेकर सीपर	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
मुनीम, लेखाकार क्लर्क आदि	9522.00	366.23	2600.00	100.00	12122.00	466.23	466.00
रालर्स, मिस्त्री, पाईन्टर्स	9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.42	474.00
उच्च कुशल कटर्स	10155.00	390.57	2600.00	100.00	12755.00	490.57	491.00

अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन
 मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित हैं

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
लिपिकिय वर्ग							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.42	371.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.42	474.00
कुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	2600.00	100.00	12285.00	472.50	473.00
श्रेणी दो	9378.00	360.69	2600.00	100.00	11978.00	460.69	461.00
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
अर्धकुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.42	424.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.42	371.00
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	2300.00	88.46	8800.00	338.46	338.00

अनुसूची 'क'

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित हैं। (आंकड़े रूपों में)
 (30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	2300.00	76.66	8800.00	293.33	293.00
अर्धकुशल	7057.00	235.23	2600.00	86.66	9657.00	321.90	322.00
कुशल	8435.00	281.16	2600.00	86.66	11035.00	367.83	368.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	2600.00	86.66	12335.00	411.16	411.00

अनुसूची "द" (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2021 छः माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1043 है इससे पूर्व की छः माही का औसत 1041 था जिसके कारण 02 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा:-

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.66	1650.00	55.00	7000.00	233.33	233.00

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) के औसत के ऊपर 1431 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची (ई)
बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	23.49	97.49

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 97 रुपये 49 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8 रुपये 54 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 4 रुपये 87 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रुपये 24 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 121 रुपये 14 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 20 रुपये 48 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि में श्रमिकों से 10 रुपये 24 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रुपये 24 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 100 रुपये 66 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत छः माही में 345 उपभोक्ता होने पर कुल 04 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची (एफ)
अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 21.40	रु.26.00	रु.47.40
साधारण अगरबत्ती			
सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	रु.26.00	रु.48.00


स्पष्टीकरण-1.म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांको को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनुसृत प्रतिदिन रुपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं।

2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।

4. स्पष्टीकरण:- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई,2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अंकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई हैं।


28/2/22

अनुभवा अधिकारी,


(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर